न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-201/2007

बिरबल पुत्र रामनाथ जाति गूर्जर निवासी बिलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- मु0 चावली बेवा सरदारा
2- जगमाल पुत्र सरदारा
3- जीवणा पुत्र सरदारा
4- चादराम पुत्र सरदारा
5- रणजीत पुत्र रिछपाल
6- बजरंग पुत्र रिछपाल
7- उमराव पुत्र रिछपाल
8- तेजवीर पुत्र रिछपाल
9- मातुराम पुत्र रिछपाल

सभी जाति गूर्जर निवासी बीलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतडी ।

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29-8-2007 द्वारा उप खण्ड अधिकारी खेतडी ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री विनोद डागी एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री महेन्द्र कुमावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 6.11.2017

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत मे दावा घोषणात्मक खातेदारी, दुरूस्ती रेकार्ड व स्थाई व्यादेश का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम टीलावाली के आराजी खसरा नं0 85 रकबा 5.21 हैक्टर जिसके गत खसरा नं0 239 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा वादी के स्व0 पिता रामनाथ की खातेदारी में थी । रामनाथ के दो पुत्र हुये जिसमें बडा पुत्र वादी तथा छोटा पुत्र भैरू हुआ जिसका लगभग-45 वर्ष पूर्व अविवाहित मृत्यु हो गई । जिसका वारिस एक मात्र वादी था ।वादी भारतीय आर्मी में भर्ती हो गया जो सन् 1964 में सेवानिवृत होकर आया । वादी के पिता का देहान्त हो जाने पर उक्त आराजी वादी को विरासत में प्राप्त हुई किन्तु राजस्व अधिकारियो ने उक्त आराजी को प्रतिवादी सं0-5 से 9 के पिता रिछपाल, प्रतिवादी सं0-2 से 4 के पिता सरदारा ने भी बतौर साजिस वादी के साथ अपना नाम दर्ज करवा लिया । रिछपाल एवं सरदारा ने अपने पिता का नाम रामनाथ दर्शा कर वादी के पिता का भाई दर्ज कर सारी कार्यवाही गलत की है । जबकि सरदारा एवं रिछपाल भूरा पुत्र मौती के पुत्र है ।इस गलत रेकार्ड की जानकारी तब हुई जब प्रतिवादी सं0-1 से 9 ने वादी को धमकी दी की उक्त आराजी में हमारी भी खातेदारी है। वर्षा होने पर इसमें काश्त करेंगें । जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकल प्राप्त कर प्रतिवादीगण को राजस्व रेकार्ड दुरूस्त कराने के लिये कहा किन्तु प्रतिवादी गण ने पहले तो हां कि किन्तु बाद में मना कर दिया जिस पर यह दावा किया । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई दावा खारिज कर दिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । विवादित आराजी का टीनेन्ट पहले अपीलान्ट का पिता रामनाथ पुत्र लच्छा था । वादी/अपीलान्ट के पिता का देहान्त होने के बाद उक्त आराजी वादी के भाई भैरू को प्राप्त हुई । वादी के भाई भैरू की मृत्यु अविवाहित ही हो गई । जिसका वारीश एक मात्र अपीलान्ट था । इस प्रकार उक्त आराजी का

खातेदार भैरू के वाद एक मात्र अपीलान्ट हुआ किन्तु राजस्व अधिकारियों से साज कर सरदारा एवं रिछपाल ने अपीलान्ट के साथ अपना नाम भी दर्ज करवा लिया ।सरदारा व रिछपाल भूरा पिता मौती के पुत्र है जबकि सरदारा से रिछपाल ने अपने आपको गलत रूप से रामनाथ के पुत्र बताकर इस आराजी में अपना नाम दर्ज करवाया है । अदालत मातहत ने इस बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया ।विवादित आराजी सम्वत 2019 तक अपीलान्ट के पिता रामनाथ के नाम दर्ज रही है । इसके बाद राजस्व अधिकारियों से साज कर सरदारा एवं रिछपाल ने अपीलान्ट के साथ साथ अपना नाम गलत रूप से दर्ज करवाया है जिसको अपीलान्ट ने मौखिक एवं दस्तावेजी से साबित किया है किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न करते हुये अपना निर्णय दिया है जो विधि के विपरित है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलान्ट का दावा स्वीकार कर अपीलान्ट को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर विवादित आराजी का अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के बाबत अदालत मातहत ने सभी दस्तावेजों का अवलोकन कर अपना निर्णय तनकीवाईज पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। राजस्व रेकार्ड मे रिछपाल पुत्र रामनाथ दर्ज है ।इतना ही नहीं अपीलान्ट ने अपने बयानों में रिछपाल को अपना भाई माना है । अदालत मातहत ने सभी दस्तावेजों पर मनन कर अपना निर्णय दिया है ।जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जबाब दावा में प्रतिवादीगण ने रामनाथ के चार पुत्र बताये है जिसमें वादी बीरबल, रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 के पति/पिता सरदारा, रेस्पोडेन्ट सं0-5 से 9 के पिता रिछपाल तथा भैंरू जो नाऔलाद फौत बताया है । जिसके समर्थन में शपथ पत्र दिया है ।प्रदर्श-1 जमाबन्दी सं0-2016 से 2019 में ख0नं0 239 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा की खातेदारी रामनाथ पुत्र रूघा गूजर खातेदार तथा रिछपाल पुत्र रामनाथ को उपकृषक दर्ज किया है ।प्रदर्श-2 मिलान क्षेत्रफल में गत ख0नं0 239 के हाल खसरा नं0- 85 रकबा 5.21 हैक्टर बने हैं ।प्रदर्श-3 जमाबन्दी सं0- 2054 से 2057 में ख0नं0 85 रकबा 5.21 की खातेदारी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1 से 4 एवं रेस्पोडेन्ट सं0-5 से 9 के पिता के नाम से दर्ज है। प्रदर्श-5 मतदाता सूची, प्रदर्श-6 मतदाता सूची में रिछपाल पि0 भूराराम दर्ज है । प्रदर्श-7 मतदाता सूची मे सरदारा पि0 भूरा दर्ज है । प्रदर्श-8 व 9 दावा सं0- 170/86 उनवान रिछपाल बनाम बीरबल आदि में रिछपाल के पिता का नाम भूराराम दर्ज है ।प्रदर्श-ए । रिछपाल के पिता का नाम रामनाथ दर्ज है तथा प्रदर्श-ए 2 मे रिछपाल एवं सरदारा के पिता का नाम रामनाथ दर्ज है। जमाबन्दी सं0-2020 में ख0नं0 239 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा बीरबल, सरदा -रा, रिछपाल व भैंरू पिता रामनाथ के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2012 मे रामनाथ पुत्र रूघा सा0देह सरदारा पाला पुत्र रामनाथ दर्ज है । उपकृषक रिछपाल पुत्र रामनाथ दर्ज है ।खसरा गिरदावरी सं0-2006 में रामनाथ वल्द लच्छा दर्ज है ।पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड मे उक्त विवादित आराजी रामनाथ वल्द लच्छा एवं रामनाथ पुत्र रूघा के नाम दर्ज है। रामनाथ की वल्दियत भी सही नहीं है ।साथ ही प्रदर्श-1 में रिछपाल पुत्र रामनाथ उपकृषक दर्ज है। संवत-2020 मे जमाबन्दी में उक्त आराजी बीरबल, सरदारा, रिछपाल व भैंरू पि0 रामनाथ के नाम दर्ज है ।तथा जमाबन्दी सं0- 2054 से 2057 में यह आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 4 के नाम तथा रेस्पोडेन्ट संख्या-5 से 9 के पिता रिछपाल के नाम दर्ज है । इससे यह साबित है कि अपीलान्ट की इस बात की ताईद नहीं होती है कि रामनाथ के

केवल दो पुत्र अपीलान्ट एवं भैरू ही नाऔलदफौत हो गया वहीं हुये हो । रेस्पो( के जबाब दावे में रामनाथ के-4 पुत्र बताये तथा साथ में शपथ पत्र है ।जिसका कोई काउण्टर शपथपत्र नहीं है ।मतदाता सूची में सरदारा व रिछपाल के पिता का नाम भूरा भी दर्ज है तो प्रदर्श-ए1 व 2 में रिछपाल व सरदारा के पिता का नाम रामनाथ दर्ज है ।इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि रामनाथ के केवल अपीलान्ट एवं भैंरू ही पैदा हुये हो । अपीलान्ट ने अपने बयानों में जिरह में रिछपाल को भाई स्वीकार किया है । जो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी से स्पष्ट है । राजस्व रेकार्ड मे रेस्पोडेन्ट के पूर्वजों का नाम राजस्थान काश्तकारी अधि नियम प्रभाव में आने के समय से ही है। अलग से कोई राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवाया हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है ।अतः अदालत मातहत का निर्णय तनकीवाईज उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-8-2007 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 6.11.2017 को सुनाया गया ।

6/11/17
(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

## डिक्री वर्सिंग अपील
## (आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

**अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।**

**इजलास** - श्री भवरलाल मेहरड़ा, आर0ए0एस0

1- बिरबल पुत्र रामनाथ जाति गूर्जर निवासी बिलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।
---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- मु0 चावली बेवा सरदारा जाति गूर्जर निवासी बिलवा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू आदि ।

नोट- उनवान संलग्न है ।

अपील नम्बर 201 सन् 2007 बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी खेतडी

मुकाम - दिनांक 29 माह 8 सन् 2007

## -दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 6-11-17 हब्स हमारे व हाजिर श्री विनोदकुमार डागी मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री महेन्द्रकुमार कुमावत मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29-8-2007 यथावत रखा जाता है ।

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग xxx रुपये अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का xxx रुपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 6-11-2017 को जारी की गई।

दस्तखत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

ओहदा

| अपीलार्थीगण | रुपये पैसे | गैर अपीलार्थीगण | रुपये पैसे |
|---|---|---|---|
| 1- स्टाम्प अपील | | 1- स्टाम्प वकालतनामा | |
| 2- स्टाम्प वकालतनामा | | 2- स्टाम्प अर्जी | |
| 3- इजराय हुक्मनामा | | 3- इजराय हुक्मनामा | |
| 4- तलबाना मुतफुरकात | | 4- मुतफुरकात | |
| 5- मिजान | | 5- मिजान | |